न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1070–तीन/2002 विरूध्द आदेश दिनांक 22–03–02 पारित अपर आयुक्त, चम्बल सभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 297/2000–01 अपील.

महीपत पुत्र छोटेलाल जाटव
नि0 ग्राम खेरा श्यामपुरा, परगना
व जिला भिण्ड, म0प्र0
——— आवेदक

विरूध्द

नाथू पुत्र छोटेलाल जाटव (मृत)
वारिसान–
1– रामरती पत्नी नाथू
2– सर्वेश पुत्र नाथू
3– विद्यासागर पुत्र नाथू
4– विमलेश पुत्र नाथू
5– सुरेन्द्र पुत्र नाथू
6– अनीता पुत्री नाथू
समस्त नि0 ग्राम खेरा, श्यामपुरा,
परगना व जिला भिण्ड, म0प्र0
——— अनावेदकगण

श्री टी0सी0 सिंघल, अभिभाषक – आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 13 मई, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण कमांक 297/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 22–03–02 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक महीपत ने ग्राम खेरा श्यामपुरा स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 2.386 हे0 के बटवारे हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21-07-97 व्दारा बटवारा आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूध्द अपील प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 29--12-97 व्दारा अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवायी कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया।

3/ विचारण तहसील न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देने के बाद अपने आदेश दिनांक 17--05-2000 व्दारा बटवारा आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा प्रस्तुत अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 31-7-2000 तथा 22-3-02 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक एवं अनावेदक नाथू सगे भाई हैं और प्रत्येक का हिस्सा 1/2 है। पूर्व में विचारण न्यायालय व्दारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 21-7-97 सही था और उसका राजस्व अभिलेख में अमल भी हो चुका था, किन्तु तहसील न्यायालय व्दारा पुनः एकपक्षीय फर्द बटवारा प्राप्त कर नियम विरूध्द बटवारा आदेश पारित किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 21-7-97 बहाल करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक को सुनवायी का अवसर दिये बिना पूर्व में बटवारा आदेश दिनांक 21-7-97 पारित कराया गया जिसे अपील में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवायी का अवसर देने के बाद बटवारा आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। तहसील न्यायालय में उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देने के बाद विधिवत बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा समवर्ती

निष्कर्ष निकाले हैं जिनमें निगरानी में हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

6/ तहसील न्यायालय की आदेशपत्रिका एवं अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानी के बाद अपर कलेक्टर से प्रकरण दिनांक 23--3--2000 को प्राप्त होने पर अपर तहसीलदार व्दारा फर्द बटवारा मँगायी जाने के आदेश दिये और प्रकरण 20--4--2000 को नियत किया। फर्द बटवारा प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में 26--4--2000 नियत की गयी। दिनांक 26--4--2000 को पटवारी व्दारा फर्द बटवारा प्रस्तुत करने पर अपर तहसीलदार व्दारा प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 17--5--2000 को नियत किया गया तथा आदेश पत्रिका में पुनश्च अंकित कर पटवारी के कथन अंकित करने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द बटवारे पर आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर अपर तहसीलदार व्दारा नहीं दिया गया । फर्द बटवारे पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना फर्द बटवारे के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो नियम एवं नैसर्गिक न्याय सिध्दान्त के विरूध्द होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है। मैने पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द बटवारे का भी अवलोकन किया। फर्द बटवारा उभय पक्ष को सूचना देने के बाद उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिये, किन्तु पटवारी व्दारा फर्द बटवारा तैयार करने के पूर्व आवेदक को सूचना दिये जाने का कोई प्रमाण तहसील न्यायालय के अभिलेख में नहीं है और ना ही आवेदक महीपत के हस्ताक्षर फर्द बटवारे पर है। फर्द बटवारे पर सिर्फ नाथू का निशानी अगूंठा लगा है जिससे प्रतीत होता है कि पटवारी व्दारा एकपक्षीय फर्द बटवारा तैयार किया गया है। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द बटवारे में सभी सर्वे कमांकों को विभाजित किया गया है जिससे भूमि छोटे--छोटे टुकडों में विभाजित हो गयी है, जबकि बटवारा नियमों के नियम 4 में यह प्रावधान है कि 'जहॉ तक व्यवहार्य हो अखंडित अंकों, भूखण्डांकों का आवंटन किया जायेगा और उनके उपखंड करने का प्रश्रय केवल विरले प्रसंगों में लिया जाना चाहिये।' ऐसी दशा में अपर तहसीलदार व्दारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 17--5--2000 नियम विपरीत होने से उसे यथावत रखने में अपीलीय न्यायालयों ने त्रुटि की है।

7/ अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 21-7-97 के विरूध्द नाथू पुत्र छोटेलाल व्दारा अपील प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर देने के बाद विवादित भूमि का बटवारा करें। विचारण तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से विदित होता है कि तहसील न्यायालय व्दारा 11-3-98 को एस डी ओ के आदेश का अमल करने के आदेश दिये और पुनः फर्द बटवारा बनवाने की आवश्यकता नहीं होना दर्शाया। इस आदेश को सक्षम न्यायालय व्दारा निरस्त करने का कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है। नाथू को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में नाथू व्दारा कोई साक्ष्य तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी। ऐसी दशा में बटवारा आदेश दिनांक 21-7-97 का अमल राजस्व अभिलेख में हो जाने से प्रकरण पुनः तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 22-03-02, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31-7-2000 तथा अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-5-2000 निरस्त किये जाते हैं। नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 21-7-97 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,